पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे

'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड, देशभर से आए छात्रों से पीएम ने की मुलाकात

नई दिल्ली, 09 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देशभर से आए छात्रों से मुलाकात की.

पीएम मोदी कोयंबटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की. इसके बाद पीएम गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे. पीएम ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें. पीएम ने बच्चों को पढ़ने के साथ, लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी. साथ ही बच्चों से कहा कि पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे. इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ नौकरी के लिए

जिंदगी नहीं जीनी चाहिए. वहीं पढ़ाई और जुनून के बीच संतुलन बनाना चाहिए. पीएम मोदी ने छात्रों को रिलैक्स करने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि हमें केवल किताबों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए; मुस्कुराना, हंसना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. पर्याप्त नींद लेने से आप प्रफुल्लित रहेंगे. नए व अच्छे विचार आएंगे.

मध्यप्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी देश की प्रगति व उननति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, वे प्रकृति की रक्षा करते हैं. आदिवासी बेटे-बेटियों सर्वाधिक देश की सेना में भी हैं. अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए. उन्होंने हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम का भी उल्लेख किया. उन्होंने मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ का जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ एक आदिवासी बेटी है.

बड़ी बातें

- सांस इतनी लो कि शरीर भर जाए. कुछ लोग शरीर को सबसे अंत में प्राथमिकता देते हैं.
- सूर्योदय देखने से शरीर में ताजगी आती है. इसको आदत में शामिल करना चाहिए.
- पढ़ाई और जुनून के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए.
- सांस इतनी लो कि शरीर भर जाए. कुछ लोग शरीर को सबसे अंत में प्राथमिकता देते हैं.
- सूर्योदय देखने से शरीर में ताजगी आती है. इसको आदत बनाएं.
- पढ़ाई और जुनून के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए.
- कला और रचनात्मक शौक तनाव और थकान से राहत दिलाते हैं.

मणिपुर से भारी मात्रा में हथियार बरामद

इंफाल. सुरक्षा बलों ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में चलाये गये अलग-अलग अभियानों के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है. सुरक्षा बलों ने नोनी जिले के नुंगबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लेंगलोंग और ताईखांग के सामान्य क्षेत्रों से रविवार को हथियार और गोला-बारूद बरामद किये. बरामद वस्तुओं में मैगजीन के साथ एक 7.62 मिमी एके-47 राइफल, मैगजीन के साथ एक यूएस कार्बाइन एम2, मैगजीन के साथ एक. 22 पिस्तौल, एक डीजेआई ड्रोन, चार 8 मिमी ब्लैंक राउंड, 5.56 मिमी गोला-बारूद 17 राउंड, 7.62 मिमी एके-47 की 39 गोलियां, आठ 9 मिमी कार्बाइन बॉल गोलियां, नौ 7.62 मिमी एसएलआर बॉल राउंड, अन्य हथियार शामिल है.

ममता को सुको से झटका

- **बंगाल के डीजीपी हलफनामा दाखिल करें: सुप्रीम कोर्ट**
- **एसआईआर में रुकावट नहीं करें राज्य**

नई दिल्ली, 09 फरवरी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों में चल रही मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कुछ अराजक तत्वों की ओर से निर्वाचन आयोग के नोटिस जलाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की इस दलील पर गौर किया कि अब तक उपद्रवियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह संदेश जाना चाहिए कि देश का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची अधिकारियों की ओर से ही लिए जाएंगे.

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के वोटर रिवीजन एक्सरसाइज नहीं किए जा रहे हैं और ईसीआई को बार-बार दिए गए रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं मिला है. इन दलीलों पर जवाब देते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट एक व्यावहारिक समाधान ढूंढेगा.

सुपरटेक प्रोजेक्ट पूरे करेगा एनबीसीसी

- **कोर्ट ने एनबीसीसी के अधिदेश को बरकरार रखा**

नई दिल्ली, 09 फरवरी. भारत के रियल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस निर्णय को बरकरार रखा है.

जिसके तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सुपरटेक लिमिटेड की 16 अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के

लिए अधिकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अभिपुष्टि इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में एनबीसीसी की भूमिका को अंतिम कानूनी निश्चितता प्रदान करती है और इनके निष्पादन एवं पूर्णता के लिए एक स्पष्ट और बाध्यकारी ढांचा स्थापित करती है। यह निर्णय देश के सबसे बड़े संकटग्रस्त रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में से एक के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम है.

तुर्की में एक टन से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त, 144 तस्कर गिरफ्तार

इस्तांबुल. तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोमवार को घोषणा की कि तुर्की पुलिस ने पिछले 10 दिनों में देश भर में चलाये गये अभियानों में 1.24 टन नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 144 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. श्री येरलिकाया ने एक्स पर एक बयान में कहा कि इन छापों के दौरान पुलिस ने 18.3 लाख नशे की गोलियां भी जब्त कीं. मंत्री ने बताया कि 24 प्रांतों में चलाए गये इन अभियानों का समन्वय मुख्य सरकारी वकीलों और एंटी-नारकोटिक्स इकाइयों ने किया था.

कार्यालय स्थानांतरित करने सरकार आजाद

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 09 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर रोक लगायी गयी थी.

न्यायालय ने कहा कि किसी संस्था के मुख्यालय का स्थानांतरण नीति से जुड़ा विषय है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश अत्यंत सीमित होती है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि किसी संस्था के मुख्यालय को स्थानांतरित करना एक नीतिगत निर्णय है.

न्यायालय परिसर में हिंसा की घटनाएं गुंडा राज

उच्चतम न्यायालय ने अदालत परिसर के भीतर हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए इसे गुंडा राज करार देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से विधि के शासन की विफलता है. न्यायालय दिल्ली के तीस हजारी अदालत परिसर के भीतर अधिवक्ता पर हुए हमले के संबंध में सुनवाई कर रहा था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को ऐसी घटना से अवगत कराया जो कथित तौर पर सात फरवरी को तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हरजीत सिंह पाल की अदालत के सामने हुई थी.

शरद पवार अस्वस्थ

बारामती, 9 फरवरी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) प्रमुख शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया जाएगा।

एप्स्टीन से संपर्क के खुलासे के बाद नॉर्वे की राजदूत का इस्तीफा

ओस्लो, 09 फरवरी. नॉर्वे की जॉर्डन में राजदूत तथा इराक के लिए भी मान्यता प्राप्त मोना जूल ने अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ संपर्कों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ आइडे ने जूल के इस्तीफे को सही और आवश्यक बताते हुए कहा कि दोषसिद्ध यौन अपराधी के साथ उनका संपर्क निर्णयात्मक चूक को दर्शाता है और इससे इस पद के लिए आवश्यक भरोसे के स्तर को बहाल करना कठिन हो गया था. मंत्रालय के अनुसार, जूल को पिछले सप्ताह उनके कार्य दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था, जबकि मंत्रालय उनके एप्स्टीन से संबंधों और संपर्कों की समीक्षा कर रहा था. मंत्रालय ने कहा कि जूल के इस्तीफे के बाद भी आंतरिक जांच जारी रहेगी, जिसमें सेवा के दौरान और सेवा से बाहर राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. मंत्रालय

ने यह भी बताया कि उसने उस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान को दिये गये अनुदानों और उससे हुए संपर्कों की समीक्षा शुरू की है. जब जूल के पति टेर्जे रोड-लार्सन इस संस्था के प्रमुख थे. श्री आइडे ने रोड-लार्सन के एप्स्टीन से संपर्कों से जुड़ी जानकारी को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भी खराब निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया. उल्लेखनीय है कि एप्स्टीन पर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप थे. अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम के तहत 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पृष्ठ प्रकाशित किए हैं.

जापान : चुनाव में एलडीपी की एकतरफा जीत

टोक्यो, 09 फरवरी. जापान में रविवार को हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) के गठबंधन ने निचले सदन में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है. सरकारी प्रसारक एनएचके ने

जनवरी में कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान और कोमेटो पार्टी के संगम से बने मुख्य विपक्षी दल सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस को भारी नुकसान हुआ है. गठबंधन की सीटें 172 से घटकर 49 रह गयी हैं. विपक्षी गठबंधन के सह-नेता योशिहिको नोदा और तेत्सुओ सैतो ने एनएचके को दिये संयुक्त साक्षात्कार में संकेत दिया कि वे इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ सकते हैं. पॉपुलिस्ट दल सानसेइतो ने 15 सीटें जीतीं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल ने 28 सीटें हासिल कीं. इस चुनाव में कुल 1,284 उम्मीदवारों ने 465 सीटों के लिए मुकाबला किया.

सोमवार तड़के यह जानकारी दी. एनएचके के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन ने कुल 352 सीटें जीतीं, जो निचले सदन में पारित लेकिन उच्च सदन (हाउस ऑफ काउंसिलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुन: पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यीय निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

आज का इतिहास

1666 इंग्लैंड के शहर लंदन में लगी भीषण आग में 13,200 घर क्षतिग्रस्त हो गये।
1836 मशहूर अमेरिकी राजनीतिज्ञ सैम ह्यूस्टन टेक्सास गणराज्य के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए।
1839 चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध की शुरुआत
1882 पहला अमेरिका श्रम दिवस परेड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया।
1885 अमेरिका के इंडियाना स्थित फोर्ट वेयन में पहली बार गैसोलीन पंप की स्थापना
1887 इंग्लैंड के थिएटर रॉयल एक्सेटर में आग लगने से 186 लोगों की मौत।
1888 भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ।
1914 विश्व के पांच देशों ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस ने लंदन संधि पर हस्ताक्षर किये
1920 मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव आरम्भ हुआ।
1948 रॉबर्ट सुमन फ्रांस पीएम बने।
1960 मुहम्मद अली के नाम से मशहूर अमेरिकी बॉक्सर कैसियस क्ले ने ओलंपिक में लाइट हेवीवेट का स्वर्ण पदक जीता।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **निविदा क्रमांक: EL/TRD/58/2025-26/22, दिनांक 06.02.2026. कार्य का नाम:** TRD Work in connection with electrification work between Chanderiya (CNA)- Ajmer (All). **अनुमानित लागत:** रु. 5,65,37,300/-. **बयाना राशि:** रु.4,32,700/-. **समापन अवधि:** 12 Months. **निविदा दस्तावेज़ की राशि:** Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय:** 02.03.2026 at 15:00 hrs. **ऑफर की वैधता:** 60 days from the date of opening. **वेबसाइट: www.ireps.gov.in. नोटिस बोर्ड:** वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। SPAN/13/1/450

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

न्यायायल नायब तहसीलदार, वृत्त अमझेरा
टप्पा कार्यालय अमझेरा तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक / 7020 / रीडर-1 /2026, अमझेरा दिनांक 04/02/2026

-- विज्ञप्ति :-

एतद् विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है, कि आवेदक कार्यपालनयंत्री ओएसपी नहर संभाग म.प्र शासन नर्मदाघाटी विकास धामनोद जिला धार द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला धार के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0216 / अ-20 (3) / 2024-25 के निर्देशानुसार ग्राम सेमलीपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 154, 244, 297, 467 रकबा क्रमशः 2.194, 1.62, 0.951, 0.261 भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त वर्णित शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक। 11/02/2626 या इसके पुर्व स्वयं अथवा मार्फत अभिभाषक के लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। जारी की गई।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक : 4/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से

नायब तहसीलदार,
वृत्त अमझेरा तहसील सरदारपुर

G25620/25

परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी
महाराष्ट्र राज्य
ई-निविदा सूचना (दुसरी वेळ)

कार्यालयीन ई-निविदा सूचना जा.क्र. २०२६/SWM//ई-निविदा/कावि/६५१३ दि.०९/०२/२०२६ अन्वये घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत परभणी शहरातील घरोघरी जाऊन ओला सुका कचरा विलगीकृत स्वरूपात घंटागाडीव्दारे संकलित करणे व प्रक्रिया केंद्रापर्यंत (बोरवंड प्रकल्प, बाभूळगाव अथवा धारराेड) या ठिकाणीपर्यंत वाहतुक करणे अथवा जिथे महानगरपालिका आदेश देईल अश्या संबंधीत ठिकाणापर्यंत वाहतुक करणे तसेच या बाबत जनजागृती करणे या कामाची ई-निवीदा परभणी शहर महानगरपालिकेकडून मागविण्यात येत आहे. सदर कामा संबधीचा सविस्तर तपशील www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर दि. १०/०२/२०२६ पासून पाहण्यास उपलब्ध आहे.

दिनांक ०९/०२/२०२६

स्वा/-
उप-आयुक्त
परभणी शहर महानगरपालिका,
परभणी

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म. प्र.)

क्रमांक / 633/अ.क.री. / का.से. / 2026 इन्दौर, दिनांक 04/02/2026

:: विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-सांतेर, तहसील-डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

अ क्र	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रुप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक मेसर्स आर. आर. डेव्हलपर्स तर्फे पार्टनर 1. श्री दर्शनलाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल 2. श्री ऋषि श्रीवास्तव पिता श्री राजीव श्रीवास्तव 3. श्री कैलाश सिंह रघुवंशी पिता स्व. श्री जुगराज सिंह रघुवंशी पता :- एल. जी. 39, बी. सी. एम. हाईट्स, विजय नगर, इन्दौर कालोनी का नाम 'SURYA GREENS'	ग्राम-सांतेर, तहसील-डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नं. 128/1/1/1 रकबा 1.0120 हे., 128/1/2/1 रकबा 1.0120., 130/1 रकबा 1.236 हे. कुल किता 03 कुल रकबा 3.260 हे. भूमि पर।	बंधक नामा पंजीयन क्रमांक एमपी 7 आईजी आर 17512025 ए100941038 दिनांक 16.10.2025 से भूखण्ड क्रं. 67 से 75 तक, 94 से 104 तक, 113 से 123 तक, 131 से 156 तक, एसआर -105, एसआर - 60, एसआर - 61, एसआर -112 इस प्रकार कुल 61 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 4388.19 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर - 4 में उल्लेखित 61 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित)

रिकेश कुमार वैश्य
अपर कलेक्टर
जिला-इंदौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
इन्दौर डायरेक्ट शाखा : प्लाट नं. 4 एवं 5, शॉप नं. 105, 107, 109, पहली मंजिल, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया चौराहा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड़ इन्दौर म.प्र. - 452001.
प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीया, संपर्क : 7583898990

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूँकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूँकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए आम तौर पर उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं./ शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	(लोन कोड नं. 54510000090 & 54510000092/ इन्दौर डारेक्ट शाखा)	तरुण कुमार दिक्षित (ऋणी), वरुण कुमार दिक्षित एवं रानू दिक्षित (सह-ऋणी)	14-07-2025 & ₹ 35,25,421/-	₹ 30,00,000/-	₹ 17,32,411/- & ₹ 20,52,395/- as on 27-01-2026	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ, एफएफ ज्ञानशिला होम्स (सुपर सिटी) ढाबली रोड़, प्लाट नं. एचई 30-बी पर मकान, ढाबली इन्दौर मध्य प्रदेश 453771. चतुर्सीमाएँ:- पूर्व- रोड़, पश्चिम- युनिट नं. G.E -32 B, उत्तर - युनिट नं. H.I 31-A, दक्षिण - युनिट नं. H.I 30-A

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस जो उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है और जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसी है वैसी है', और 'जो भी है' के आधार पर निजी समझौते के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके।

यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) के पास कोई ऐसा खरीदार है जो दी गई आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) को **02-03-2026** से एक दिन पहले AHFL को सूचित करना होगा, जिसके बाद AHFL उस खरीदार को वरीयता देगा। यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) **02-03-2026** से एक दिन पहले सूचित करने में विफल रहते हैं, तो AHFL उम्मर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा। यह संपत्ति AHFL को ज्ञात या अज्ञात, सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। **विक्रय की दिनांक 02-03-2026 तय की गई है।**

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 10-02-2026

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय- सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)

पत्र क्रमांक- 50 /री-1 / भू-अर्जन / 2026, धरमपुरी, जिला- धार (म.प्र.) धरमपुरी, दिनांक 13/01/2026
रा.प्र.क्र. - 0101 / बी-121 / 2025-26

:: अधिसूचना ::
प्ररुप - 'ख'
नियम - 5 का उपनियम (2)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि धार उहन माइकों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील धरमपुरी जिला धार के 13764 हेक्टेयर सी. सी. ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक - 01 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु ' ग्राम- बगड़ीपुरा, प.ह.नं.- 47/98, रा. नि. मं. -01, धरमपुरी, तहसील - धरमपुरी, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक - 30, मनावर, जिला- धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमपुरी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	धरमपुरी	ग्राम- बगड़ीपुरा, प.ह.नं.- 47/98,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			32	0.011
			33/2/2/3	0.003
			33/2/2/2	0.041
			33/2/1/2	0.016
			33/2/1/1	0.050
धार	धरमपुरी	ग्राम- बगड़ीपुरा, प.ह.नं.- 47/98,	30/2	0.042
			30/4/2	0.019
			30/1	0.029
			27/2	0.086
			28/1	0.008
			27/3	0.035
			27/1	0.026
			19/2/2	0.049
			19/1	0.040
			246/1	0.029
			246/2	0.036
			245/1/2	0.010
			245/3	0.029
			245/2	0.005
			244/1/2	0.043
			244/2/1/3	0.002
			244/2/1	0.042
			244/3/1	0.031
		कुल योग निजी भूमि	23	0.682
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			248	0.005
			259	0.024
			260	0.005
			261	0.005
		कुल योग शासकीय भूमि	04	0.039
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	27	0.721

(प्रमोद सिंह गुर्जर)
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
धरमपुरी, जिला- धार (म.प्र.)

G25608/25